यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराडी** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराडी** के माह 05/2013 से माह 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री महेश चन्द्र, पर्यवेक्षक द्वारा दिनांक 15.12.2018 से 19.12.2018 तक श्री राज बहादुर, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–1

1. **परिचयात्मक**:– इस इकाई की कार्यालय स्थापना से प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी जिसमें माह 05/2013 से 11/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः– इकाई द्वारा जनपद के युवाओं को रोजगारपरक प्रशिक्षण प्रदान कर स्वावलम्बी बनाया जाता है।

   (ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना			गैर स्थापना		बचत/आधिक्य
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	बचत/आधिक्य	आवंटन	व्यय	
2013-14	Nil	Nil	35.06	32.73	2.34	08.17	08.01	0.16
2014-15	Nil	Nil	84.00	38.60	45.40	51.67	02.36	2.90
2015-16	Nil	Nil	40.65	37.47	03.19	09.63	09.59	0.04
2016-17	Nil	Nil	63.03	51.92	11.12	07.38	07.18	0.20
2017-18	Nil	Nil	63.82	53.32	10.50	09.43	07.77	01.66
2018-19	Nil	Nil	54.26	35.35	18.91	05.47	04.11	01.36

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः–

(धनराशि ` लाख में)

योजना का नाम	2015-16		2016-17		2017–18		2018–19	
	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय	प्राप्ति	व्यय
––	--	--	--	--	-- --	--	--	--

(iii) इकाई को बजट आबंटन **निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, हल्द्वानी** द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाइ ...**स**....श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढ़ांचा निम्नवत हैः– सचिव, प्रशिक्षण एवं सेवायें ⟶ निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायें ⟶ प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराडी

(iv)**लेखा परीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः–** लेखापरीक्षा में **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराडी** की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह **03/2016, 09/2016 एवं 06/2018** को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। आई0 एम0 सी0 योजना एवं स्थापना आदि का विष्लेषण किया गया। प्रतिचयन योजनान्तर्गत किये गये व्यय के आधार पर किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गए नियंत्रक महालेखा परीक्षक के (कर्तव्य,शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 (डी. पी. सी. एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षक विनियम 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार संपादित की गयी।

भाग दो (ब)

प्रस्तरः1 कार्यशाला भवन निमार्ण के पूर्ण करने के लिए अनबन्ध में प्रावधानित समयावधि के 02 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी धनरराशि रु0 88.55 लाख के भवन का हस्तान्तरण न होना।

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से 1396 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के उन्नयन के लिए प्रत्येक आई. टी. आई. को 2.50 करोंड की धनराशि का व्याज मुक्त कर्ज प्रदान की गयी थी, के सम्बन्ध में दिनांक 21 जुलाई 2014 को जारी संशोधित दिशानिर्देश के बिन्दु 8 के अनुसार 20 प्रतिशत की धनराशि सीड मनी के रुप में रखी जाएगी तथा अधिकतम रु0 100. 00 लाख की लागत का सिविल निर्माण कार्य किया जा सकता है। बिन्दु 9 में यह निर्देशित किया गया कि वर्ष 2015–16 के अन्त में सीड मनी एवं व्याज आदि को सम्मिलित करते हुए अवशेष रु0 1.00 करोंड से अधिक नहीं होनी चाहिए। इससे अधिक उपलब्ध अवशेष धनराशि को भारत सरकार को वापस की जाएगी।

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराडी के सार्वजनिक निजी भागीदारी के अन्तर्गत संचालित आई. एम. सी. योजना से सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया कि अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग द्वारा गठित आगणन रु0 88.55 लाख की धनराशि का कार्यशाला भवन निर्माण किया जाना था। भवन निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था के साथ हुए समझौता ज्ञापन दिनांक 09 सितम्बर 2015 के प्रावधानों के अनुसार धनराशि उपलब्ध कराये जाने से 15 माह के अन्तर्गत अर्थात दिसम्बर 2016 तक कार्य पूर्ण एवं हस्तगत किया जाएगा। आगे जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य की सम्पूर्ण धनराशि रु0 88.55 लाख दिनांक 16.09.2015 को कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी गयी थी। सम्बन्धित अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि निर्माण कार्य के पूर्ण होने की निर्धारित तिथि से 02 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी वर्तमान तक भवन कार्यालय को हस्तगत नहीं किया गया है।

आगे याजनान्तर्गत प्राप्ति एवं व्यय के सम्बन्ध में सी0 ए0 रिपोर्ट एवं उपलब्ध करायी गयी विवरण की जॉच में पाया गया कि संस्थान के पास योजना की 237.90 लाख की धनराशि जिसमें रु0 100.00 लाख की सावधि जमा, बैंक खाते में रु0 67.12 लाख एवं सावधि जमा पर अर्जित व्याज की धनराशि रु0 70.79 लाख सम्मिलित है, अवशेष के रुप में जमा है। जिसे दिशानिर्देशों के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में 100.00 लाख से अधिक की समस्त धनराशि भारत सरकार को वापस नहीं की गयी थी।

लेखापरीक्षा में इस ओर इंगित किये जाने पर इकाई ने अपने उत्तर में अवगत कराया कि कार्यदायी संस्था द्वारा जून 2017 में हस्तगन की कार्यवाही हेतु पत्र दिया गया था परन्तु विद्युत सम्बन्धी कार्य पूर्ण न होने के कारण कार्यवाही नहीं हो पायी। वर्तमान में पुनः हस्तगन की कार्यवाही हेतु प्रक्रिया गतिमान है जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति के माध्यम तृतीय पक्ष मूल्यांकन के पश्चात कार्यवाही पूर्ण कर ली जाएगी। योजनान्तर्गत

अतिरिक्त धनराशि भारत सरकार को वापस न किये जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया कि वर्तमान में संचालित व्यवसायों के अतिरिक्त तीन नयें व्यवसाय फिटर, इलेक्ट्रानिक्स एवं ड्राफ्टमैन सिविल के संचालन हेतु साज–सज्जा क्रय आदि का कार्य किया जाना है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार से निर्देश प्राप्त न होने के कारण उक्त धनराशि को वापस नहीं किया जा सका। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अनुबन्ध में प्रावधानित समयान्तर्गत ही भवन हस्तगन का कार्य भी पूर्ण कर लिया जाना चाहिए था।

अतः कार्यशाला भवन निमार्ण के पूर्ण करने के लिए अनबन्ध में प्रावधानित समयावधि के 02 वर्ष व्यतीत होने के उपरान्त भी धनरराशि रु0 88.55 लाख के भवन का हस्तान्तरण न होने सम्बन्धी प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो ब

प्रस्तर :–2 कर्मचारियों/अधिकारियों को आंवटित आवासों से मेन्टेनन्स की धनराशि रू 1.47 लाख वसूली न किया जाना।

कार्यालय प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बौराड़ी, नई टिहरी के भवन किराया सम्बन्धित अभिलेखो की जाचॅ में पाया गया कि वर्तमान में विभाग के 37 आवास उपलब्ध है। कार्यालय आदेश भवन आवंटन में स्पष्ट निर्देश दिये गये है कि टाईप 01 रू 50, टाईप 02 रू 150, एवं टाईप 03 रू. 210 प्रतिमाह की दर से मेन्टीनेन्श की धनराशि की कटौती कर चालान द्वारा जमा किया जायेगा तथा इसकी एक प्रति सम्बन्धित इस कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। यह संज्ञान मे आया कि वर्तमान में 17 आवास ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों को आंवटित है जिनके विगत 11 माह से 120 माह तक की मेन्टेनन्स की धनराशि रू 1.47 लाख वसूल किया जाना अपेक्षित (सॅूची सलग्नक) है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई ने कहा कि शासकीय आवास में रह रहें सभी कार्मिकों से मेन्टेनेन्स एलाउन्स की धनराशि की वसूली हेतु व्यक्गित रूप से पत्र जारी कर वसूली की कार्यवाही यथाशीध्र की जायेगी।

उत्तर सम्प्रेक्षा को मान्य नही हैं क्योकि इकाई का दायित्व था कि मेन्टेनेन्स की धनराशि की वसूली प्रतिमाह किया जाये अन्यथा आवंटित आवास रदद् किये जाने की कार्यवाही की जानी चाहिऐ। जबकि कार्मिका वर्तमान में भी आावास में रह रहे है एवं मेन्टेनेन्स की धनराशि की वसूली किया जाना अपेक्षित है।

अतः कर्मचारियों/अधिकारियों को आंवटित आवासों से मेन्टेनन्स की धनराशि
रू 1.47 लाख वसूली न किया जाने का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण निम्नवत् है;

प्रति.संख्या	वर्ष	भाग–दो अ प्रस्तर सं0	भाग–दो ब प्रस्तर सं0	**STAN** प्रस्तर सं0
	इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः–

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अलुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
		इकाई की प्रथम बार लेखापरीक्षा सम्पादित की गयी		

भाग–4

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

शून्य

भाग–5

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधित सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराडी** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः–

(अ) **शून्य**

2. सतत अनियमितताएंः–

(अ) **शून्य**

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	अवधि
1	श्री एम0 एम0 कुडियाल	प्रधानाचार्य	01.05.2013 से 30.07.2017 तक
2	श्री संजीव कुमार	प्रधानाचार्य	31.07.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **प्रधानाचार्य, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बौराडी** को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामाजिक क्षेत्र कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित कर दी जांए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.